RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
सितंबर
23
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

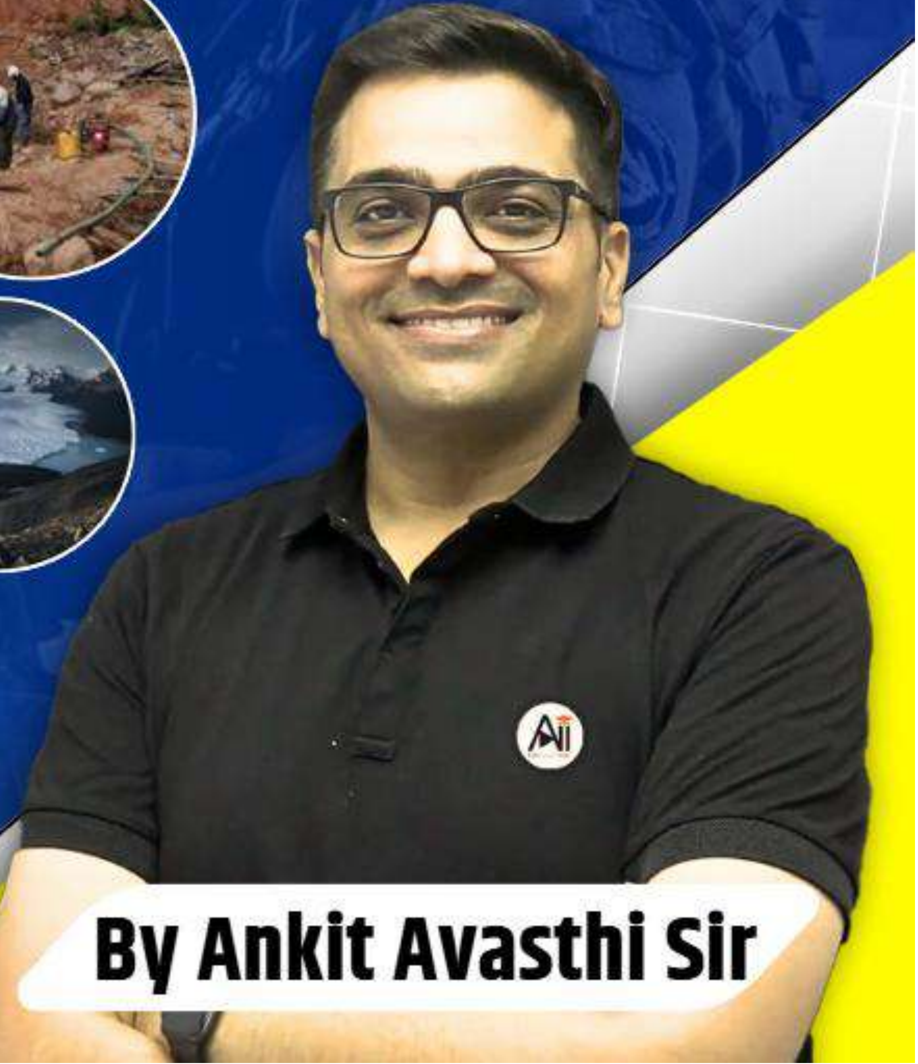

By Ankit Avasthi Sir

चार प्रमुख पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी / Four major Western nations recognise Palestinian state

संदर्भ:

ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने रविवार को फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी। यह कदम गाज़ा युद्ध को लेकर बढ़ती नाराज़गी और दो-राष्ट्र समाधान को आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित बताया जा रहा है। हालांकि, इस फैसले पर इज़राइल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

फिलिस्तीन मान्यता की पृष्ठभूमि:

ऐतिहासिक संदर्भ-

- फिलिस्तीन मुद्दा **ब्रिटिश मैनडेट (1920–48)** से जुड़ा है।
- इस दौरान यहूदियों और अरबों को अलग-अलग वादे किए गए, जिसका परिणाम 1947 में संयुक्त राष्ट्र के **विभाजन योजना (UN Partition Plan)** के रूप में सामने आया।

इज़रायल का गठन (1948)-

- इज़रायल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके बाद **नक़बा (Nakba)** के नाम से मशहूर पलायन हुआ।
- लगभग **7 लाख फिलिस्तीनी विस्थापित** हुए।

युद्ध और कब्ज़ा-

- **1967 का छह-दिवसीय युद्ध (Six-Day War)** → इज़रायल ने **वेस्ट बैंक, ग़ाज़ा पट्टी और पूर्वी यरुशलम** पर कब्ज़ा कर लिया।
- ये क्षेत्र फिलिस्तीनी राज्य की माँग के केंद्र माने जाते हैं।

शांति प्रक्रिया का विकास-

- **ओस्लो समझौता (1993)** से **रोडमैप फॉर पीस (2003)** तक कई प्रयास हुए।
- लेकिन बस्तियों का विस्तार, सुरक्षा चिंताएँ और फिलिस्तीनी नेतृत्व का विभाजन शांति प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पाए।

फिलिस्तीनी दल और विभाजन-

- **फतह (Fatah):** धर्मनिरपेक्ष दल, वेस्ट बैंक की *पैलेस्टिनियन अथॉरिटी (PA)* को नियंत्रित करता है, और वार्ता आधारित समाधान का समर्थक है।
- **हमास (Hamas):** ग़ाज़ा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाला इस्लामी संगठन, जिसका राजनीतिक और सैन्य दोनों विंग है। यह इज़रायल के अस्तित्व को नहीं मानता लेकिन स्थानीय स्तर पर सामाजिक सेवाएँ देता है।
- **फतह–हमास प्रतिद्वंद्विता:** 2006 के चुनावों के बाद से वेस्ट बैंक (फतह) और ग़ाज़ा (हमास) के बीच बँटवारा हुआ, जिसने फिलिस्तीन की शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया और शांति वार्ताओं को और जटिल बना दिया।

अंतरराष्ट्रीय मान्यता-

- अब तक **140 से अधिक संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश** (मुख्यत: ग्लोबल साउथ) फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं।
- परंतु पश्चिमी महाशक्तियों द्वारा मान्यता न दिए जाने से इसकी वैधता लगातार प्रभावित होती रही।
- **2012:** संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 67/19 के तहत फिलिस्तीन को *ग़ैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य* का दर्जा मिला।

भारत का दृष्टिकोण : फिलिस्तीन मुद्दा-

ऐतिहासिक समर्थन:

- भारत पहला गैर-अरब देश था जिसने 1974 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को मान्यता दी।
- 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भी मान्यता प्रदान की।

संतुलित नीति:

- भारत ने हमेशा **दो-राष्ट्र समाधान** का समर्थन किया है, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित है।
- साथ ही, भारत ने इज़रायल के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखे हैं—खासकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्रों में।

वैश्विक प्रतिक्रियाएँ:

- **अमेरिका:** मान्यता का विरोध, सीधे वार्ता पर जोर।
- **यूरोपीय संघ:** विभाजित—स्पेन, आयरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे समर्थन; फ्रांस और जर्मनी सतर्क।
- **ग्लोबल साउथ:** व्यापक समर्थन, उपनिवेशवाद-विरोधी एकजुटता पर आधारित।
- **रूस और चीन:** मान्यता के पक्ष में, मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास।

H-1B वीज़ा / H-1B visa

संदर्भ:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सभी एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाया जाएगा। यह शुल्क उन कंपनियों को देना होगा जो विदेशी कुशल कामगारों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए नियुक्त करेंगी। यह कदम एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम के भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है।

H-1B वीज़ा कार्यक्रम:

- **परिचय:** H-1B वीज़ा एक non-immigrant, employer-sponsored वर्क वीज़ा है जिसे 1990 के Immigration Act के तहत बनाया गया। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने की अनुमति देता है।
- **उपयोग:** IT, इंजीनियरिंग, वित्त (Finance), और स्वास्थ्य सेवा (Healthcare) जैसे क्षेत्रों में कौशल की कमी पूरी करने में मदद करता है।

मुख्य प्रावधान (Key Provisions):

1. **पात्रता:** विशेष क्षेत्र में स्नातक (Bachelor's) या उससे उच्च डिग्री, या उसके बराबर कार्य अनुभव आवश्यक।
2. **वार्षिक सीमा:**
   - हर साल सीमित संख्या में H-1B वीज़ा जारी किए जाते हैं।
   - 65,000 वीज़ा सामान्य सीमा और अतिरिक्त 20,000 वीज़ा अमेरिका से उन्नत डिग्री धारकों के लिए।
3. **छूट:** उच्च शिक्षा संस्थान, non-profits या सरकारी शोध संगठनों में कार्यरत लोगों पर वार्षिक सीमा लागू नहीं।
4. **वैधता:** शुरुआत में 3 साल के लिए, अधिकतम 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
5. **आजीवन सीमा:** जीवनभर कई बार H-1B वीज़ा लिया जा सकता है, बशर्ते हर बार मानक प्रक्रिया का पालन हो।
6. **Dual-Intent Visa:** H-1B धारक ग्रीन कार्ड (Green Card) और स्थायी निवास (Permanent Residency) के लिए आवेदन कर सकते हैं।
7. **सबसे बड़े लाभार्थी:** भारतीय सबसे अधिक लाभार्थी हैं—2015 से अब तक 70% से अधिक याचिकाएँ भारत से, इसके बाद चीन।

भारत पर प्रभाव (Implications for India):

- **आईटी उद्योग:** अमेरिकी कॉन्ट्रैक्ट कम होने से राजस्व घटेगा; लगभग $150 अरब के आईटी निर्यात क्षेत्र पर खतरा।
- **कुशल श्रमिक:** भारतीय इंजीनियरों और पेशेवरों के लिए अवसर घटेंगे; *reverse brain drain* (प्रतिभा की वापसी) संभव।
- **रेमिटेंस:** अमेरिका में कार्यरत भारतीयों से आने वाले धन में गिरावट।
- **कूटनीति:** भारत व्यापार वार्ताओं में *mobility agreements* पर जोर देगा; भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव की आशंका।

निष्कर्ष:

एच-1बी वीज़ा शुल्क में वृद्धि भारत-अमेरिका संबंधों और वैश्विक प्रतिभा गतिशीलता का एक अहम मोड़ है। यह कदम जहाँ हज़ारों पेशेवरों और परिवारों के लिए कठिनाई खड़ी करता है, वहीं इसके दीर्घकालिक प्रभाव भारत के रणनीतिक हितों को मज़बूत कर सकते हैं। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के लिए सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। यदि भारत इस नीति को प्रतिभा गतिशीलता पर अंकुश की बजाय घरेलू नवाचार के उत्प्रेरक में बदल सके, तो वह इस अनिश्चितता के दौर से और अधिक मज़बूत होकर उभर सकता है।

मेघालय में यूरेनियम खनन विरोध / Uranium mining protests in Meghalaya

संदर्भ:

मेघालय की कई संगठनों ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी हालिया कार्यालय ज्ञापन पर चिंता जताई है, जिसमें **यूरेनियम खनन** को अनिवार्य जन-सलाह प्रक्रिया से छूट दी गई है।

मेघालय में यूरेनियम खनन विरोध का इतिहास:

- **खासी समुदाय का विरोध (1980 से):** डोमियासियात और वाहकाजी क्षेत्रों में चार दशकों से लगातार प्रतिरोध।
- **झारखंड का अनुभव:** सिंहभूम की खदानों में विकिरण (radiation) और आजीविका के नुकसान के कारण व्यापक विरोध हुआ, जिससे अविश्वास बढ़ा।
- **प्रक्रियात्मक अन्याय:** जनसुनवाई अनजानी भाषाओं में हुईं और स्थानीय आपत्तियों की अनदेखी की गई।

नया कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) क्यों विवादास्पद है?

- **जन परामर्श से छूट:** सामरिक खनिजों (strategic minerals) के खनन में स्थानीय समुदाय की आवाज़ दबाई गई।
- **संसदीय निगरानी का अभाव:** बिना संसदीय जांच-पड़ताल के जारी, कार्यपालिका (executive) के अतिरेक का संकेत।
- **संवैधानिक सुरक्षा कमजोर:** भूमि के संरक्षकों को ऐसे फैसलों में केवल दर्शक बना दिया गया जो उनके अस्तित्व पर असर डालते हैं।

संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा दांव पर:

- **षष्ठम अनुसूची (Sixth Schedule):** खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद अपनी स्वायत्तता का उपयोग कर सकती है।
- **न्यायिक दृष्टांत:** नियामगिरि (2013) में आदिवासी सहमति की सर्वोच्चता को मान्यता दी गई।
- **पंचम व षष्ठम अनुसूची:** विरोध के लिए मजबूत कानूनी आधार प्रदान करती हैं।
- **वैश्विक सिद्धांत FPIC (Free, Prior, and Informed Consent):** इस निर्णय में पूरी तरह अनदेखा।

यूरेनियम खनन क्यों जोखिमभरा है?

- **पर्यावरणीय खतरे:** रेडियोधर्मी कचरा और जलस्रोतों का प्रदूषण।
- **मानव स्वास्थ्य पर असर:** सिंहभूम में विकिरण से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़े।
- **सांस्कृतिक विघटन:** आदिवासी समुदाय अपनी पैतृक भूमि और सांस्कृतिक धरोहर खोते हैं।
- **अल्पकालिक सुरक्षा बनाम दीर्घकालिक स्थिरता:** यूरेनियम पर ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर, नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों को कमजोर करता है।

यूरेनियम खनन क्या है?

यूरेनियम खनन वह प्रक्रिया है, जिसके तहत भूमिगत चट्टानों से यूरेनियम अयस्क निकाला जाता है। इसमें मुख्य रूप से तीन चरण शामिल होते हैं – **अन्वेषण, खुदाई और प्रसंस्करण**। प्रसंस्करण के बाद प्राप्त पदार्थ को **"येलोकैक"** कहा जाता है, जो एक मध्यवर्ती उत्पाद है और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में तथा अन्य उपयोगों के लिए काम आता है।

भारत में यूरेनियम कहाँ खनन किया जाता है?

- **झारखंड (सिंहभूम जिला):** सबसे पुरानी खदानें; यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (UCIL) का प्रमुख केंद्र।
- **आंध्र प्रदेश (तुम्मलापल्ले, कडप्पा जिला):** अनुमानित ~1.5 लाख टन भंडार, दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडारों में से एक।
- **तेलंगाना (नलगोंडा जिला):** लांबापुर–पेद्दागट्टू क्षेत्र में भंडार।
- **मेघालय (डोमियासियात, वाहकाजी):** समृद्ध भंडार, लेकिन आदिवासी विरोध के कारण खनन रुका हुआ।
- **राजस्थान (रोहिल, सीकर जिला):** खोजी कार्य जारी।

भारत का वैश्विक यूरेनियम परिदृश्य:

वैश्विक यूरेनियम भंडार: मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, कज़ाकिस्तान, कनाडा और रूस में स्थित।

भारत का हिस्सा:

- विश्व के यूरेनियम भंडार का लगभग 1–2%।
- वैश्विक नेताओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम।

आयात पर निर्भरता: घरेलू खनन के बावजूद, भारत कज़ाकिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और कनाडा से यूरेनियम आयात करता है।

नाभिकीय ऊर्जा का योगदान:

- वर्तमान में भारत की बिजली का लगभग 3%।
- लक्ष्य: 2040 तक 9–10%।

हाई सीज़ ट्रिटी / High Seas Treaty

संदर्भ:

हाल ही में मोरक्को ने **हाई सीज़ संधि** को अनुमोदित करने वाला 60वां देश बनकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। यह संधि अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में जैव विविधता की रक्षा के लिए बनाई गई पहली अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूपरेखा है।

हाई सीज़ ट्रिटी (High Seas Treaty) क्या है?

हाई सीज़ ट्रिटी एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जिसे **हाई सीज़** (किसी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से बाहर के समुद्री क्षेत्र) में समुद्री जैव विविधता (marine biodiversity) की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बनाया गया है।

- आधिकारिक नाम: **Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)**
- अपनाया गया: **संयुक्त राष्ट्र, 2023**

मुख्य प्रावधान और उद्देश्य:

1. **समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas – MPAs)**
   - अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने और प्रबंधित करने की व्यवस्था।
   - 2030 तक दुनिया के 30% समुद्रों की सुरक्षा का **"30x30" लक्ष्य** पूरा करना।
2. **समुद्री आनुवंशिक संसाधन और लाभ-साझा करना**
   - समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को साझा करने के नियम।
   - उद्देश्य: गरीब देशों को भी अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों से लाभ सुनिश्चित करना।
3. **पर्यावरणीय प्रभाव आकलन:**
   - हाई सीज़ में प्रस्तावित गतिविधियों, जैसे गहरे समुद्र में खनन (deep-sea mining), के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन अनिवार्य।
4. **क्षमता निर्माण और तकनीकी हस्तांतरण:**
   - विकासशील देशों को संरक्षण प्रयासों में मदद और आवश्यक तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।
   - ताकि वे समुद्री शासन (ocean governance) में सक्रिय भाग ले सकें।

इस समझौते की आवश्यकता

- इससे पहले हाई सीज़ का प्रबंधन **असंगठित और बिखरित** था।
- अलग-अलग क्षेत्रीय और क्षेत्रीय निकाय शिपिंग या मछली पकड़ने जैसी समस्याओं को संभालते थे, लेकिन समग्र संरक्षण और cumulative प्रभावों के लिए कोई ढांचा नहीं था।

ट्रिटी इन खामियों को भरने और इन खतरों से निपटने के लिए बनाई गई है:

1. अति-मत्स्य पालन (Overfishing)
2. प्रदूषण, जैसे प्लास्टिक और रसायन (Pollution)
3. अस्थिर गतिविधियाँ, जैसे गहरे समुद्र में खनन (Unsustainable practices)

हाई सीज़ (High Seas) क्या हैं?

- 1958 के **जिनेवा कन्वेंशन** के अनुसार, हाई सीज़ वे समुद्री क्षेत्र हैं जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं।
- ये क्षेत्र किसी देश की **विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone – EEZ)** से आगे बढ़ते हैं, जो आम तौर पर तट से 200 समुद्री मील तक फैली होती है।

हाई सीज़ का महत्व:

1. **विशाल क्षेत्रफल (Vast Coverage):**
   - दुनिया के महासागरों का 64% और पृथ्वी की सतह का 43% हिस्सा।
   - लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियाँ और लाखों सूक्ष्मजीव।
2. **पर्यावरणीय संतुलक:**
   - वैश्विक CO_2 का 25% अवशोषित करता है।
   - दुनिया का आधा ऑक्सीजन उत्पादन।
   - जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए गर्मी का वितरण।
3. **संसाधनों का भंडार (Resource Reservoir):**
   - समुद्री खाद्य (Seafood), खनिज, आनुवंशिक संसाधन (Genetic Resources) और औषधीय यौगिक।
4. **जैव विविधता का केंद्र (Biodiversity Hub):**
   - समृद्ध समुद्री जीवन का घर, जिसमें अभी विज्ञान के लिए अज्ञात प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
5. **चुनौतियाँ (Challenges):** स्वामित्व की कमी के कारण:
   - अति-मत्स्य पालन (Overfishing)
   - जैव विविधता हानि (Biodiversity loss)
   - प्लास्टिक का डंपिंग (2021 में 17 मिलियन टन)
   - अम्लीकरण (Acidification) और प्रदूषण (Pollution)

बाग्राम एयर बेस / Bagram Air Base

संदर्भ:
अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान में बाग्राम एयर बेस को पुन: अपने नियंत्रण में ले, क्योंकि इसका रणनीतिक, सैन्य और भू-राजनीतिक महत्व अत्यंत उच्च है।

बाग्राम एयर बेस (Bagram Air Base) के बारे में

- **स्थान:** अफगानिस्तान के परवान प्रांत में, काबुल से लगभग 40-60 किमी उत्तर में, प्राचीन शहर बाग्राम के पास।
- **इतिहास:**
  - 1950 के दशक में **सोवियत संघ** द्वारा बनाया गया।
  - **कोल्ड वार** और **सोवियत-अफगान युद्ध** के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - 2001 के बाद **अमेरिका और NATO संचालन** का केंद्र बन गया।
- **सामरिक महत्व:**
  - ईरान, पाकिस्तान, मध्य एशिया और चीन के शिनजियांग प्रांत के पास स्थित।
  - यूरेशिया में सैन्य ताकत प्रदर्शित करने और निगरानी (surveillance) के लिए रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।
- **हाल की स्थिति:**
  - जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना के व्यापक अफगानिस्तान वापसी अभियान के तहत खाली किया गया।
  - इसके बाद **तालिबान** के नियंत्रण में आ गया।

लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक / Logistics Data Bank

संदर्भ:
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने **लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0** का शुभारंभ किया, जो भारत के लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को और अधिक दक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (Logistics Data Bank – LDB)

परिचय:

- भारत का **नेक्स्ट-जेनरेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म**, जो लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, सप्लाई चेन की दृश्यता सुधारने और भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के लिए बनाया गया।
- **शुरुआत:** 2016 में रीयल-टाइम कंटेनर ट्रैकिंग के लिए।
- **तकनीक:** RFID और उन्नत ट्रैकिंग सिस्टम, पोर्ट्स, हाईवे और रेलवे में।
- **मुख्य मंत्रालय:** वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry)

तकनीकी क्षमताएँ

1. **हाई-सीज़ कंटेनर ट्रैकिंग:** भारतीय पोर्ट्स से कंटेनर की प्रस्थान के बाद निर्यातकों को निगरानी की सुविधा।
2. **मल्टी-मॉडल शिपमेंट विज़िबिलिटी:**
   - सड़क, रेल और समुद्री मार्ग पर कंटेनरों की ट्रैकिंग।
   - कंटेनर नंबर, ट्रक/ट्रेलर ID और रेलवे फ्रेट नंबर रिकॉर्ड्स (FNRs) का उपयोग।
3. **लाइव कंटेनर हीटमैप:**
   - स्थान-आधारित वितरण का दृश्य प्रस्तुत करता है।
   - लॉजिस्टिक्स में बाधाओं और असंतुलन को पहचानने में मदद।
4. **ULIP APIs के साथ इंटीग्रेशन:**
   - डेटा तक सहज पहुँच और साझा जानकारी के लिए।

GS FOUNDATION
For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
BBK
Baaten Bazaar ki
COURSE FEE
~~₹4000/-~~
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात
Baaten Bazar Ki

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

BBK
BaatenBazar ki

EMI AVAILABLE

\+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

FREE

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR